न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई०ए०एस)

प्रकरण संख्या 15 / 2025

बउनवान

द्वारकालाल आयु 62 साल पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति माली निवासी बड़ा तहसील व जिला बारां राज०

अपीलांट

बनाम

भंवरलाल पुत्र श्री माधोलाल जाति माली निवासी बड़ा तहसील व जिला बारां राज०

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 20–12–2024 अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार बारां बमुकदमे द्वारकालाल बनाम भंवरलाल कार्यवाही अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :– 1. श्री बृजराज सिंह चौहान अभिभाषक (अपीलांट)
2. श्री बृजराज किशोर शर्मा अभिभाषक (रेस्पोडेन्ट)

निर्णय दिनांक 04.06.2025

अपीलान्ट्स की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने अधिनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 राज० टी० एक्ट प्रस्तुत कर कथन किया था कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी की आराजी खाता संख्या नया 207 पुराना 196 मे खसरा नंबर 352, 358, 359, 364, 381, 503, 603, 606, 610, 611, 613, 616, 855 कुल किता 13 कुल रकबा 3.08 हेक्टेयर वाके माल बड़ाँ तहसील बारां में स्थित है। उक्त आराजियात खसरा नंबर 611 रकबा 0.13 हेक्टेयर जो प्रार्थी के कब्जे काश्त मे है। उक्त आराजी पर आने जाने का सरकारी रास्ता खसरा नंबर 596 रकबा 0.87 हेक्टेयर किस्म गैरमुमकिन रास्ता बना हुआ है। उक्त सरकारी रास्ते की भूमि पर अप्रार्थी ने जबरन कब्जा कर लिया है और प्रार्थी की उक्त आराजी पर आने जाने का रास्ता बन्द कर दिया है जिसका अप्रार्थी को कोई हक प्राप्त नहीं है। हल्का पटवारी बारां की रिपोर्ट दिनांक 19/11/2024 के मुताबिक हल्का पटवारी द्वारा खसरा नंबर 596 पर अप्राथी का कब्जा होना प्रमाणित पाया तथा उसे पाबंद किया गया कि अप्रार्थी विद्युत पोल, टापरी आदि हटा लेवे तथा उक्त आराजी से अप्रार्थी अपना कब्जा हटा कर रास्ता खुलासा करे। दिनांक 24/11/2024 को प्रार्थी अपनी आराजी पर उक्त खसरा नंबर 596 सरकारी रास्ते मे होकर है, कृषि यंत्र ले जाने लगा तो अप्रार्थी ने प्रार्थी को रोका व कहा कि यहां कोई रास्ता नही है। प्रार्थी ने काफी अनुनय विनय किया तो अप्रार्थी लडाई झगडा करने पर आमादा हो गया तथा कहा कि यहां होकर निकला तो जान से मार दूंगा जबकि प्रार्थी उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग निर्वाध रूप से करता चला आ रहा है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि पर आने जाने व कृषि यंत्र लाने ले जाने का अन्य कोई रास्ता नही है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे समर्थन मे प्रार्थी द्वारा ठोस साक्ष्य प्रस्तुत कर आराजी खसरा ... रकबा 0.13 हेक्टेयर जो प्रार्थी के कब्जे काश्त मे है जिस पर आने जाने का सरकारी रास्ता खसरा नंबर 596 रकबा 0.87 हेक्टेयर गैरमुमकिन रास्ता बना हुआ होना तथा उक्त सरकारी रास्ते की भूमि पर अप्रार्थी द्वारा जबरन कब्जा करना अपनी साक्ष्य से पूरी तरह से प्रमाणित किया है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.07.03 11:11:25 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

...प्रार्थी के कथनों एवं प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किये बिना ही प्रार्थना पत्र खारिज किया है जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर निर्णय अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार एव कार्यपालक मजि० बारां दिनांक 20/12/2024 निरस्त फरमाते हुए प्रार्थना पत्र धारा 251 राज०टी०एक्ट प्रार्थी अपीलान्ट स्वीकार करने की कृपा करे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोडेन्ट जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुआ। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

दौराने बहस अभिभाषक रेस्पोडेन्ट अनुपस्थित रहने पर हमने एकपक्षीय बहस अभिभाषक अपीलांट की सुनकर गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करने का विनिश्चय किया। हमने एकपक्षीय बहस अभिभाषक अपीलांट की सुनी। दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट्स ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्ट ने विधि विरूद्ध तरीके से अपीलांट के खाते की आराजी पर हमेशा से प्रयुक्त रास्ते को अवरूद्ध कर दिया तथा लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का विवेचन नहीं किया अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है। यदि रेस्पोडेन्ट अपने कृत्य में सफल हो गया तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति होगी। अपीलांट के खेत पर आने जाने एवं कृषि यंत्र लाने ले जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर निर्णय अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार एव कार्यपालक मजि० बारां दिनांक 20/12/2024 निरस्त फरमाते हुए प्रार्थना पत्र धारा 251 राज०टी०एक्ट प्रार्थी अपीलान्ट स्वीकार करने की कृपा करे।

हमने एकपक्षीय बहस अभिभाषक अपीलांट पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। चूंकि अपीलांट के खाते की आराजी पर आने जाने का 40 फिट का रास्ता पूरी तरह से खुलासा है तथा निर्बाध रूप से सार्वजनिक उपयोग में आ रहा है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाई जाती है तथा अपील अपीलांट निराधार तथा सारहीन होना पाई जाती है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय हमारे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 04.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज०)

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.07.03 11:11:25 IST
Reason: SelfAttested